RCMS - 2018/00003

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

रामप्रताप बनाम स्टेट व चानण राम वगैरा

05 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
25.01.2018	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया जावे एवं रिकॉर्ड तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस स्थगन दिनांक 31.01.2018 को पेश हो।	
31.01.2018	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । एडमिशन बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस स्थगन दिनांक 02.02.2018 को पेश हो।	
02.02.20018	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । एडमिशन बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस स्थगन दिनांक 05.02.2018 को पेश हो।	
05.02.2018	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि नियमन आदेश दिनांक 17.12.1988 को पारित किया गया जबकि रूपराम का देहांत 19.06.1975 को हो गया तथा उसकी वारिस बखतोरी का देहांत भी दिनांक 22.09.1982 को हो गया, अतः रूपराम के जायज वारिस प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 नियमन आदेश दिनांक 17.12.1988 के रोज हर प्रकार से प्रभावित पक्षकार थे मगर ना तो उनको पक्षकार बनाया गया तथा ना ही कोई शौकाज नोटिस जारी किया गया ना किसी नोटिस की कभी विधिवत तामील हुई, अतः आदेश दिनांक 17.12.1988 गलत व यकतरफा होने से व बिना प्रभावित को बुलाये सुने पारित किया जाने से ऐसे आदेश पर पुनर्विचार किया जाकर निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पूर्व में इसी रकबा के सम्बन्ध में एक प्रकरण चानणराम आदि बनाम सरकार प्रकरण संख्या 424/84 अन्तर्गत धारा 13 ए का निर्णय दिनांक 13.03.1987 को रकबा रिज्यूम करने का आदेश पारित किया गया जिसके खिलाफ अपील राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर में पेश हुई मगर अपील के दौरान सरकार को धोखा देते हुए दिनांक 18.11.1988 को नियमन राशि जमा करवाने के लिए श्रीमान न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर जरिये चालान दिनांक 03.12.1988 के 7350 रूपया जमा करवा दिया तथा दिनांक 17.12.1988 को राजस्व अपील अधिकारी , श्रीगंगानगर को एक प्रार्थना पत्र पेश कर	

25.06.2018 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि इन्तकाल संख्या 285 दिनांक 12.01.2018 का माननीय न्यायालय में विचाराधीन नजरसानी प्रार्थना पत्र में अहम दस्तावेजात है क्योंकि उक्त इन्तकाल मृतक व्यक्ति के नाम से जारी किया गया है एवं उक्त भूमि एस.सी. से नोन एस.सी. को बेचान हुई। अतः इस अपील का नजरसानी प्रार्थना पत्र के साथ ही निस्तारण किया जा जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि इन्तकाल संख्या 285 दिनांक 12.01.2018 के सम्बन्ध में माननीय न्यायलय में इस्तगत अपील संख्या 11/2018 अनवानी चानणराम बनाम स्टेट व निक्कूराम वगैरा विचाराधीन है जो इसी इन्तकाल से सम्बन्धित है जिसमें इन्तकाल संख्या 285 दिनांक 12.01.2018 को तहसीलदार (भू.अ.) पदमपुर ने अपने आदेश दिनांक 01.02.2018 द्वारा रिव्यू करते हुए खारिज कर दिया है। अतः उक्त अपील निष्प्रभावी होने से खारिज की जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि इन्तकाल संख्या 285 दिनांक 12.01.2018 के सम्बन्ध में न्यायलय हाजा में हस्तगत अपील संख्या 11/2018 संस्थित दिनांक 25.01.2018 अनवानी चानणराम बनाम स्टेट व निक्कूराम वगैरा विचाराधीन है जो इसी इन्तकाल से सम्बन्धित है। इसके बाद अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 285 दिनांक 12.01.2018 को तहसीलदार (भू.अ.) पदमपुर ने अपने आदेश दिनांक 01.02.2018 द्वारा रिव्यू किया जाकर खारिज किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निष्प्रभावी हो गई है। लिहाजा इसे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/6/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।